निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 भाद्र 1933 (श0)

(सं0 पटना 494) पटना, मंगलवार, 6 सितम्बर 2011

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचनाएं

2 सितम्बर 2011

एस0 ओ0 245, दिनांक 6 सितम्बर, 2011—बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 10, 2011) की धारा–18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।**–(*1*) यह नियमावली बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ।**– (*1*) इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो–

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 10, 2011);

(ख) ''केन्द्र सरकार'' से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार का कोई मंत्रालय या विभाग;

(ग) ''अंचल'' से अभिप्रेत है समय–समय पर इस निमित्त निर्गत सरकारी अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट वाणिज्य–कर प्रशासन की एक इकाई, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई कर निर्धारीती अथवा नियोजक अवस्थित हो;

(घ) ''अंचल प्रभारी'' से अभिप्रेत है अंचल का प्रभारी वाणिज्य–कर उपायुक्त, वाणिज्य–कर सहायक आयुक्त, वाणिज्य–कर पदाधिकारी अथवा इस निमित्त आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अधिकृत पदाधिकारी;

(ङ) ''आयुक्त'' से अभिप्रेत बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–10 के अधीन नियुक्त आयुक्त एवं इसमें बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–10 के अधीन नियुक्त अपर आयुक्त शामिल है;

(च) '''उपायुक्त, वाणिज्य–कर'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा–10 के अधीन नियुक्त उपायुक्त, वाणिज्य–कर;

(छ) ''संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य–कर'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा–10 के अधीन नियुक्त वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त;

(ज) ''वार्ड'' से अभिप्रेत है किसी अंचल के भीतर समय–समय पर, इस निमित्त आयुक्त द्वारा निर्गत आदेश में यथाविनिर्दिष्ट प्रशासनिक इकाई;

(झ) "फारम" से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन विहित फारम;

(ञ) कर निर्धारीती अथवा नियोजक के संबंध में, "सरकारी कोषागार" से अभिप्रेत है, यथास्थिति, उस जिला या अनुमंडल का कोषागार या उप–कोषागार जिसमें ऐसा कर निर्धारीती या नियोजक निवास करता हो;

(ट) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(ठ) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार;

(ड) "उप–धारा" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा की कोई उप–धारा;

(ढ) "कर" से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन संदेय कर।

3. **निबंधन।**– (*1*) धारा–5 द्वारा निबंधित होने हेतु अपेक्षित हरेक नियोजक ऐसे अंचल प्रभारी को अधिनियम के अधीन निबंधन हेतु फारम PT-I में आवेदन देगा जिसके अंचल की सीमाओं में नियोजक का कार्यालय अवस्थित हो। ऐसा आवेदन नियोजक के निबंधनापेक्षी होने के सात दिनों के भीतर या तो अंचल के काउंटर पर अथवा वाणिज्य–कर विभाग के शासकीय वेब साईट पर इलेक्ट्रॉनिक रीति से दाखिल किया जायेगा एवं उक्त आवेदन इसके बाद विनिर्दिष्ट रीति से परिष्कृत किया जायेगाः

परन्तु इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से व्यक्तियों के नियोजित करनेवाले नियोजक द्वारा ऐसा आवेदन नियमावली के प्रवृत्त होने के तीस दिनों के भीतर दिया जायेगा।

(*2*)(क) उप–नियम (*1*) के अधीन इलेट्रॉनिक रीति से दाखिल किये गए आवेदन के मामले में संबंधित अंचल का प्रभारी यह सत्यापित करने के पश्चात् कि आवेदन के सभी स्तम्भ पूरी तरह भरे गये है, आवेदन दाखिल किये जाने के पन्द्रह दिनों के भीतर, फारम PT-II में निबंधन प्रमाण–पत्र निर्गत करेगा।

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट प्रमाण–पत्र में नियोजक को उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा नियोजक को आवंटित निबंधन संख्या अंकित होगी एवं उक्त निबंधन संख्या, आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन नियोजक को आवंटित '10' अंको द्वारा पहले लगायी गयी "कर कटौती एवं संग्रहण लेखा संख्या" होगी;

परन्तु नियोजक को, आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कर कटौती एवं संग्रहण लेखा संख्या आवंटित नहीं होने की दशा में, निबंधन संख्या उसे आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन नियोजक को आवंटित "10 अंको द्वारा पहले लगायी गयी" स्थायी लेखा संख्या" (PAN) होगी।

(ग) आवेदक को निबंधन प्रमाण–पत्र–

(i) उसके ई–मेल एकाउंट पर, यदि उसने ऐसा ई–मेल पहचान प्रस्तुत किया हो, अथवा

(ii) उसके द्वारा दिये गए आवेदन में उल्लिखित पते पर निबंधित डाक द्वारा, भेजा जायेगा।

स्पष्टीकरण।–इस उप–नियम के प्रयोजनार्थ, पद "नियोजक से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन कर भुगतान के दायी व्यक्तियों को नियेाजित करनेवाली, यथास्थिति, कम्पनी, फर्म, सोसाइटी, व्यक्तियो का संगम, अविभक्त हिन्दू परिवार, निगमित, निकाय, पर्षद, प्राधिकार, उपक्रम अथवा निगम।

(*3*)(क) उप–नियम (*1*) के अधीन यदि आवदेन इलेक्ट्रॉनिक रीति से नहीं दाखिल की गई हो तो ऐसा आवेदन संबंधित अंचल के काउंटर पर जमा किया जायेगा। काउंटर प्रभारी यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि आवेदन के सभी स्तम्भ पूरी तरह भरे गये है एवं आवेदन हस्ताक्षरित है–

(*i*) उस व्यक्ति को इसके बदले एक रसीद निर्गत करेगा; तथा

(*ii*) इसे कम्प्यूटर में संधारित पंजी PT-III में दर्ज करेगा।

(ख) इसके पश्चात् सम्बधिन्त अंचल का प्रभारी, आवेदन दाखिल करने के पन्द्रह दिनों के भीतर, प्रपत्र PT-II में निबंधन प्रमाण–पत्र प्रदान करेगा।

(ग) खंड (क) में निर्दिष्ट प्रमाण–पत्र में नियोजक को उप–नियम (*1*) में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आवंटित निबंधन संख्या अंकित होगी एवं उक्त निबंधन संख्या, आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन आयोजकों को आवंटित 10 अंको द्वारा पहले लगायी गयी कर कटौती एवं संग्रहण लेखा संख्या होगी :

परन्तु नियोजक को आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कर कटौती एवं संग्रहण लेखा संख्या आवंटित नहीं होने की दशा में ऐसे नियोजक की निबंधन संख्या उसे आयकर अधिनियम 1961 के अधीन आयोजकों को आवंटित 10 अंको द्वारा लगायी गयी स्थायी लेखा संख्या (PAN) होगी।

(घ) आवेदक को निबंधन प्रमाण–पत्र–

(i) उसके ई–मेल एकाउंट पर, यदि उसने ऐसा ई–मेल पहचान प्रस्तुत किया हो; अथवा

(ii) उसके द्वारा दिये गए आवेदन में उल्लिखित पते पर निबंधित डाक द्वारा; भेजा जायेगा।

स्पष्टीकरण।– इस उप–नियम के प्रयोजनार्थ, पद "नियोजक से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन कर भुगतान के दायी व्यक्तियों को नियेाजित करनेवाली, यथास्थिति, कम्पनी, फर्म, सोसाइटी, व्यक्तियो का संगम, अभिव्यक्त हिन्दू परिवार, निगमित, पर्षद, प्राधिकार, उपक्रम अथवा निगम।

(*4*) ऐसे मामले में जहां किसी वेतन अथवा मजदूरी का भुगतान कर निर्धारीती को करने का दायी व्यक्ति, बिहार राज्य के बाहर अवस्थित हो, वहाँ उप–नियम (*1*) के अधीन आवेदन बिहार राज्य में प्रबंधन के प्रभारी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा।

4. **नामांकन।**– (1) ऐसा प्रत्येक कर निर्धारीती जिसपर धारा–5 का द्वितीय परन्तुक तथा धारा 6 की उप–धारा (2) लागू होती हो, अधिनियम के अधीन नामांकन हेतु उस अंचल के प्रभारी को प्रपत्र PT-Iक में आवेदन करेगा जिसके क्षेत्राधिकार में कर निर्धारीती निवास करता हो। ऐसा आवेदन अधिनियम के अधीन निर्धारीती की कर देयता के सात दिनों के भीतर या तो अंचल के काउंटर पर अथवा वाणिज्य–कर विभाग के शासकीय वेब साईट पर इलेक्ट्रॉनिक रीति से दाखिल किया जायेगा एवं उक्त आवेदन इसके बाद विनिर्दिष्ट रीति से परिष्कृत किया जायेगाः

परन्तु अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व से किसी पेशा, व्यापार, आजिविका अथवा नियोजन में लगे हुए किसी कर निर्धारीती द्वारा ऐसा आवेदन अधिनियम के प्रवृत्त होने के नब्बे दिनों के भीतर दिया जायेगा।

(*2*) नामांकन प्रमाण–पत्र फारम PT-IIक में होगा।

(*3*) नियम 3 के उप–नियम (*2*) एवं उप–नियम (*3*) के प्रावधान उप–नियम (*1*) के अधीन किये गये नामांकन हेतु आवेदन के संबंध में यथाआवश्यक परिवर्त्तनों सहित लागू होंगे।

5. **वेतन अथवा मजदूरी से कर की कटौती।**– (*1*) प्रत्येक नियोजक प्रत्येक वर्ष के सितम्बर माह की कर्मचारी को भुगतेय वेतन अथवा मजदूरी से प्रत्येक कर्मचारी द्वारा भुगतेय कर की कटौती करेगा।

(*2*) उप–नियम (*1*) के अधीन कटौती किया गया कर उप–नियम (1) में निर्दिष्ट नियोजक द्वारा नियम 7 में विहित रीति से सरकारी कोषागार में तुरत आगामी माह जिसमें उसकी कटौती की गयी हो, नवम्बर के पंद्रहवे को अथवा उसके पूर्व जमा किया जायेगा।

(*3*) उप–नियम (*1*) में निर्दिष्ट प्रत्येक नियोजक, किसी वर्ष के संबंध में कटौती किए गए कर के ब्यौरे को अंतर्विष्ट करते हुए प्रत्येक वर्ष के नवम्बर माह के अंत को या पूर्व एक विवरणी विहित प्राधिकारी को भेज देगा।

(4)(क) उप–नियम (*1*) अथवा उप–नियम (*2*) अथवा उप–नियम (*3*) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे मामले में फारम जहां कोई कर निर्धारीती–

(i) सितम्बर माह का वेतन अथवा मजदूरी भुगतान हो जाने के पश्चात्, अधिनियम के अधीन कर का दायी होता हो; अथवा

(ii) सितम्बर माह का वेतन अथवा मजदूरी भुगतान हो जाने के पश्चात अधिनियम के अधीन कर के रूप में अधिक राशि भुगतान करने का दायी होता हो, तो उप–नियम (*1*) में निर्दिष्ट नियोजक, कर निर्धारीती को उक्त सितम्बर माह के बाद वाले फरवरी माह के संबंध में भुगतेय वेतन अथवा मजदूरी से यथास्थिति कर अथवा, अधिक कर की राशि की कटौती करेगा।

(*5*) उप–नियम (*1*) के अधीन निर्दिष्ट नियोजक द्वारा उप–नियम (4) के अधीन कटौती की गई कर की राशि नियम 7 में निर्दिष्ट रीति से सरकारी कोषागार में आगामी माह जिसमें उसकी कटौती की गयी हो, अप्रील माह के पंद्रहवें दिन को या उसके पूर्व जमा की जायेगी।

(*6*) उप–नियम (*5*) के अधीन कर जमा करनेवाला प्रत्येक नियोजक उप–नियम (*4*) के अधीन कटौती किए गए कर के ब्यौरे को अंतर्विष्ट करते हुए प्रत्येक वर्ष के मई माह के अंत के पूर्व एक विवरणी विहित प्राधिकारी को भेजेगा।

(*7*) उप–नियम (1) अथवा उप–नियम (4) के अधीन कर का कटौती करनेवाला प्रत्येक नियोजक, ऐसे कर्मचारी को, जिसके वेतन अथवा मजदूरी से कर की कटौती हुई हो फारम PT-VI में प्रमाण–पत्र निर्गत करेगा।

(*8*) उप–नियम (*3*) अथवा उप–नियम (*6*) में निर्दिष्ट विवरणी उस रीति से दाखिल की जायेगी एवं निपटायी जायेगी जो, अधिसूचना द्वारा, आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय।

(*9*)(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसपर धारा 5 के द्वितीय परन्तुक के प्रावधान लागू होते हों, नियोजक द्वारा उसको किसी वेतन अथवा मजदूरी के भुगतान के पूर्व अपने नियोजक को फारम PT-VII में प्रमाण–पत्र देगा।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट प्रमाण–पत्र देने में विफलता की दशा में, नियोजक कर्मचारी को भुगतेय वेतन अथवा मजदूरी से भुगतेय कर की कटौती करेगा।

6. **विवरणी।**– (*1*) अधिनियम के अधीन निबंधित प्रत्येक नियोजक किसी वर्ष के संबंध में किए गए कर की कटौती के ब्यौरे को अन्तर्विष्ट करते हुए विहित प्राधिकारी को फारम PT-VIII में वार्षिक विवरणी संबंधित वर्ष समाप्त होने के बाद वाले जून माह के अंत को या उसके पहले देगा।

(*2*) अधिनियम के अधीन नामांकन प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति, विहित प्राधिकारी को, फारम PT-IX में वार्षिक विवरणी संबंधित वर्ष के समाप्त होने के बाद वाले जून माह के अंत को या उसके पहले देगा।

(*3*) उप–नियम (*1*) अथवा उप–नियम (*2*) में निर्दिष्ट विवरणियां उस रीति से जो आयुक्त द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाय, दाखिल की जायेगी एवं निपटायी जायेगी।

7. **संदाय।**– (*1*) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिससे अधिनियम के अधीन कोई कर अथवा ब्याज अथवा शास्ति अदा करने की अपेक्षा की जाय, कर अथवा ब्याज अथवा शास्ति की रकम फारम PT-IX में चालान द्वारा सरकारी कोषागार अथवा आयुक्त द्वारा, इस बावत प्राधिकृत किसी बैंक में अदा करेगा।

(*2*) उप–नियम (*1*) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग अथवा विवरण के व्यक्तियों से कर या ब्याज या शास्ति की राशि के वाणिज्य–कर विभाग के आधिकारिक वेब साईट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रीति से भुगतान की अपेक्षा कर सकेगा।

8. **सुनवाई।**– (*1*) नियम 9 में निर्दिष्ट प्राधिकारी, धारा 7 की उप–धारा (3) के अधीन कार्यवाही के मामले में, उस व्यक्ति पर, जिसके विरूद्ध कार्यवाही की गई हो, नोटिस तामिल करेगा अथवा करवायेगा, जिसमें अभियोग का सारांश, सुनवाई की तारीख, जो नोटिस निर्गत करने की तारीख से अधिक से अधिक तीस दिनों एवं कम से कम सात दिनों की नोटिस तथा सुनवाई की तिथि अंतर्विष्ट होगी।

(*2*) उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध कार्यवाही की गई हो, सुनवाई के लिए नियत तारीख को, यथा स्थिति, अपने विरूद्ध लगाये गए अभियोग का खंडन करने अथवा कार्यवाही प्रारम्भ करने के आधारों का उत्तर देने की अनुमति दी जायेगी, किन्तु सामान्यतः उसे स्थगन की अनुमति नहीं मिलेगी। यदि कोई स्थगन आवश्यक हो तो नियम 9 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी उसके कारणों को अभिलिखित करेगा।

(*3*) सुनवाई के बाद उप–नियम (1) निर्दिष्ट प्राधिकारी एक आदेश अभिलिखित करेगा, जिसमें संक्षेप में किन्तु स्पष्ट रूप से यथास्थिति, अभियोग का सारांश अथवा जिस व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की गई हो, उसे इसके संबंध में अवगत कराने की रीति, कार्यवाही प्रारम्भ करने के आधार का उत्तर अथवा दिया गया उत्तर, यदि कोई हो और उस पर किया गया विनिश्चय, अंतर्विष्ट होगा।

(*4*) उप–नियम (*3*) के अधीन पारित आदेश की एक सच्ची प्रतिलिपि दे दी जायेगी, उस व्यक्ति को जिसके विरूद्ध कार्यवाही की गई हो।

9. **अधिनियम के कतिपय धाराओं के प्रयोजनार्थ विहित प्राधिकारी।**– अधिनियम की धारा–6 के प्रयोजनार्थ, अंचल प्रभारी विहित प्राधिकारी होंगे तथा धारा–7, 8, 9 तथा 14 हेतु उपायुक्त, सहायक आयुक्त एवं वाणिज्य–कर पदाधिकारी विहित प्राधिकारी होंगे।

10. **बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के कतिपय उपबंधों का लागू होना।**– अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिए ऐसी सभी प्रक्रिया तथा अनुषांगिक अन्य मामलों, जिनके लिए इस नियमावली में कोई उपबंध नहीं किया गया हो, अथवा अपर्याप्त उपबंध किये गए हों के संबंध में बिहार मूल्य वर्द्धित कर नियमावली, 2005 के सुसंगत उपबंध, आवश्यक परिवर्त्तनों सहित, लागू होंगे।

11. **नियमों के उल्लंघन हेतु दंड।**– इस नियमावली में किसी उपबंध का उल्लंघन करनेवाला कोई व्यक्ति पाँच सौ रुपये से अनधिक की शास्ति और जहाँ उल्लंघन करना जारी रहता हो वहाँ उल्लंघन जारी रहने की अवधि में प्रतिदिन दस रूपयों से अनधिक शास्ति से दंडनीय होगाः

परन्तु ऐसी शास्ति अधिरोपित करनेवाला विहित प्राधिकारी नियमावली अथवा उसके किसी उपबंध का उल्लंघन करनेवाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देगा।

फारम – PT-I

बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा–5 के अधीन निबंधन हेतु आवेदन प्रपत्र

(देखें नियम 3)

वाणिज्य–कर ..... का कार्यालय ..... अंचल

सेवा में,

.....

.....

मैं ..... (पूरा नाम), पिता ..... (पूरा नाम) बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम 2011 की धारा– 5 के अधीन निबंधन प्रमाण–पत्र निर्गमन हेतु निम्नलिखित दस्तावेज के साथ आवेदन प्रस्तुत करता हूँ–

(1) पूरा नाम–
(2) पता (मकान सं०/दुकान सं०/मोहल्ला/पोस्ट ऑफिस/थाना/प्रखंड/जिला इत्यादि का ब्योरा दें)–
(3) स्थायी लेखा संख्या–
(4) टेलीफोन संख्या–
(5) फैक्स संख्या–
(6) ई–मेल–
(7) कर दायित्व की तिथि–
(8) बैंक संबंधी जानकारियाँ (बैंक का नाम, शाखा, लेखा सं०)–

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गयी विशिष्टियाँ मेरी जानकारी में सही और पूर्ण हैं।

स्थान– ..... आवेदक का हस्ताक्षर .....

दिनांक– ..... पदनाम .....

आवेदन व्यक्ति की दशा में स्वामी, अविभक्त हिन्दु परिवार की दशा में कर्त्ता, फर्म की दशा में प्राधिकृत साझेदार, कंपनी या निगम की दशा में प्रबंध निदेशक, प्रधान कार्यपालक पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति, समिति, क्लब, संस्था, सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकार की दशा में प्रधान कार्यपालक पदाधिकारी या प्रभारी पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

फारम– PT-IA

बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा–5 एवं 6(2) के अधीन निबंधन हेतु आवेदन प्रपत्र

(देखें नियम 4)

वाणिज्य–कर ..... का कार्यालय ..... अंचल

सेवा में,

.....

.....

मैं ..... (पूरा नाम), पिता ..... (पूरा नाम) एतद् द्वारा बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम 2011 की धारा– 5 के अधीन निबंधन प्रमाण–पत्र देने हेतु आवेदन और इस प्रयोजनार्थ निम्नलिखित विशिष्टियाँ देता हूँ–

(1) पूरा नाम–
(2) पता (मकान सं०/दुकान सं०/मोहल्ला/पोस्ट ऑफिस/थाना/प्रखंड/जिला इत्यादि)–
(3) स्थायी लेखा संख्या–
(4) टेलीफोन संख्या–
(5) फैक्स संख्या–
(6) ई–मेल–
(7) कर–दायित्व की तिथि–
(8) बैंक –ब्योरा (बैंक का नाम, शाखा, लेखा सं०)–
(9) पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन की प्रकृति–

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दी गयी विशिष्टियाँ मेरी जानकारी और विश्वास में सही और पूर्ण हैं।

स्थान.....
दिनांक .....

आवेदक का हस्ताक्षर .....
पदनाम .....

फारम– PT-II

बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा–5 के अधीन निबंधन हेतु प्रमाण–पत्र

(देखें नियम 4)

वाणिज्य–कर ..... का कार्यालय ..... अंचल

सेवा में,

.....

.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..... का निबंधन बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन किया जाता है और उनका निबंधन संख्या .... है।

2. वे ..... की तिथि से बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन कर जमा कर सकेगें।

स्थान .....
दिनांक .....

निर्गमन प्राधिकृत का हस्ताक्षर .....
पदनाम .....
कार्यालय का मुहर .....

फारम– PT-IIA

बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा–5 और धारा–6(2) के अधीन निबंधन हेतु प्रमाण–पत्र

(देखें नियम 4)

वाणिज्य–कर ..... का कार्यालय ..... अंचल

सेवा में,

.....

.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..... को बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन नामांकित किया गया है और उनको निबंधन संख्या ..... आवंटित की गयी है।

2. वे ..... की तिथि से बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन कर भुगतान हेतु दायी हैं।

स्थान .....
दिनांक .....

निर्गमन प्राधिकृत का हस्ताक्षर .....
पदनाम .....
कार्यालय का मुहर .....

फारम– PT-III

बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन पेशा–कर निबंधन हेतु आवेदन प्रपत्र

(देखें नियम 3 और 4)

वाणिज्य–कर ..... का कार्यालय ..... अंचल

सेवा में,

.....

.....

मैं ..... (पूरा नाम), पिता ..... (पूरा नाम) एतद् द्वारा बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम 2011 की धारा– 5 के अधीन निबंधन प्रमाण–पत्र निर्गमन हेतु आवेदन और इस प्रयोजनार्थ निम्नलिखित विशिष्टियाँ देता हूँ–

पूरा नाम	पता (मकान सं०/दुकान सं०/ मोहल्ला/पोस्ट ऑफिस/ थाना/प्रखंड/जिला इत्यादि)	स्थायी लेखा संख्या
1	2	3

टेलीफोन संख्या	फैक्स संख्या	ई–मेल	कर देयता की तिथि	बैंक संबंधी जानकारियाँ (बैंक का नाम, शाखा, लेखा सं०)
4	5	6	7	8

फारम– PT-IV

बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन कटौती की विवरणी

(देखें नियम 5)

(1) सरकारः केन्द्रीय/राज्य–
(2) विभाग/मंत्रालय–
(3) नियोक्ता का नाम पूर्ण विवरण के साथ–
(4) पदनाम–
(5) वर्ष–
(6) व्यक्तियों की संख्या जो संबंधित वर्ष का वेतन या खर्च वहन करेगा–

क्रम सं०	निर्धारीती का नाम	पदनाम	स्थायी लेखा संख्या	वर्ष का आय	देयकर	कर की कटौती
1	2	3	4	5	6	7
कुल						

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरणी में दी गयी विशिष्टियाँ मेरी जानकारी में पूर्ण सत्य व सही है और मैं हस्ताक्षर करने और यह विवरणी दाखिल करने के लिए सक्षम हूँ।

दिनांक ..... हस्ताक्षर .....

स्थान ..... पदनाम.....

फारम– PT-V

बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन कटौती की विवरणी
(देखें नियम 5)

(1) सरकारः केन्द्रीय/राज्य–
(2) विभाग/मंत्रालय–
(3) नियोक्ता का नाम पूर्ण विवरण के साथ–
(4) पदनाम–
(5) वर्ष–
(6) व्यक्तियों की संख्या जो संबंधित वर्ष का वेतन या खर्च वहन करेगा–

क्रम सं०	निर्धारीती का नाम	पदनाम	स्थायी लेखा संख्या	वर्ष का आय	देयकर	कर जिसकी कटौती की गयी	कर जिसकी कटौती होनी है
1	2	3	4	5	6	7	8
कुल							

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरणी में दी गयी विशिष्टियाँ मेरी जानकारी में पूर्ण सत्य व सही है और मैं हस्ताक्षर करने और यह विवरणी दाखिल करने के लिए सक्षम हूँ।

दिनांक ..... हस्ताक्षर .....

स्थान ..... पदनाम .....

फारम– PT-VI

बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन कर कटौती की विवरणी का प्रमाण–पत्र
[(देखें नियम 5(7)]

प्रमाणित किया जाता है कि मैं ..... (पूरा नाम), पिता .... (पूरा नाम) कटौती किये गये रकम ..... (रू० शब्दों में) वेतन/खर्च के रूप में भुगतान ..... को ..... (महीना व वर्ष) के मद में करता हूँ।

पुनः प्रमाणित किया जाता है कि कुल वेतन/खर्च को उपरोक्त नियोजक का नाम के लिए वर्ष .... का रकम ..... है।

पुनः प्रमाणित किया जाता है कि संबंधित कटौती किये गये कर की राशि का भुगतान मेरे द्वारा इस चालान नं० ..... दिनांक ..... के साथ किया जाता है।

*प्रमाणित किया जाता है कि, मैं बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन निबंधित हूँ और मेरा निबंधन संख्या ..... है।

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त प्रमाण–पत्र में दी गयी विशिष्टियाँ मेरी जानकारी में पूर्ण सत्य व सही है।

दिनांक ..... हस्ताक्षर .....

स्थान ..... पदनाम .....

* यदि संबंधित न हो तो काट दें।

फारम– PT-VII

बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा–5 के अधीन कटौती की विवरणी का प्रमाण–पत्र
(देखें नियम 5)

सेवा में,

.....
..... अंचल।

प्रमाणित किया जाता है कि मैं ..... (पूरा नाम), पिता .... (पूरा नाम) बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन नामांकित हूँ और मेरा नामांकन संख्या ..... है और मैं सर्वश्री .... (संस्था का नाम) के साथ ..... (पदनाम) ..... और सर्वश्री .... (संस्था का नाम) के साथ ..... (पदनाम) पर कार्यरत हूँ।

प्रमाणित किया जाता है कि .....
.....
.....

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त प्रमाण–पत्र में दी गयी विशिष्टियाँ मेरी जानकारी में पूर्ण सत्य व सही है।

दिनांक ..... हस्ताक्षर .....

स्थान ..... नामांकन संख्या .....

फारम– PT-VIII

बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा–7 के अधीन विवरणी।
(अपने कर्मचारी को वेतन/मजदूरी में से कटौती करने वाले व्यक्ति द्वारा यह समर्पित किया जायेगा)
[देखें नियम (6)]

सरकार : केन्द्र/राज्य—
विभाग/मंत्रालय—
कर्मचारी का नाम पूरा विवरण के साथ—
निबंधन संख्या—
पदनाम—
वर्ष—

1. निर्धारितियों का कुल संख्या/कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन/मजदूरी
2. कटौतियों के ब्योरे–

आय स्त्रोत	निर्धारितियों की संख्या	कुल दिया गया वेतन/मजदूरी	कुल कर कटौती
(क) रू० तीन लाख से कम			
(ख) रू० तीन लाख से अधिक किन्तु रू० पाँच लाख से कम			
(ग) रू० पाँच लाख से अधिक किन्तु रू० दस लाख से कम			
(घ) रू० दस लाख से अधिक			
कुल			

3. कुल रकम जो कर के वास्ते दिया गया–
रकम (रूपये) (चालान संख्या/चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या और दिनांक)

4. यदि कोई विवरणी फारम यथा PT-IV और PT-V हो, तो संलग्न करें।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस रिटर्न में दी गयी विशिष्टियाँ मेरी जानकारी में पूर्ण सत्य व सही है और मैं इस रिटर्न को दाखिल और हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम हूँ।

दिनांक .....
स्थान .....

हस्ताक्षर .....
पदनाम .....

फारम– PT-IX

बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा–7 के अधीन विवरणी
(यह नामांकित व्यक्ति द्वारा अधिनियम के अधीन समर्पित किया जायेगा)
[देखें नियम (6)]

नाम :
नामांकन संख्या :
कर्मचारी/नियोजकों का नाम, यदि हो तो :
वर्ष :

(1) चालू वर्ष की कुल आय :
(2) जमा करने वाला कर :
(3) कर के माध्यम से जमा की गयी कुल रकम :
रकम (रूपये) (चालान संख्या/चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या और दिनांक)

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस रिटर्न में दी गयी विशिष्टियाँ मेरी जानकारी में पूर्ण सत्य व सही है।

दिनांक .....
स्थान .....

हस्ताक्षर .....
पदनाम .....

मूल प्रति		द्वितीय प्रति	
(कोषागार के द्वारा संबंधित अंचल को भेजा जायेगा)		(संबंधित कोषागार में रखी जायेगी)	
फारम PT-X		फारम PT-X	
बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन चालान		बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन चालान	
[देखें नियम 7]		[देखें नियम 7]	
क्रमांक संख्या		क्रमांक संख्या	
कोषागार		कोषागार	
बैंक का नाम		बैंक का नाम	
ब्राँच कोड		ब्राँच कोड	
मुख्य शीर्ष		मुख्य शीर्ष	
लघु शीर्ष		लघु शीर्ष	
बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन प्राप्ति रसीद		बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन प्राप्ति रसीद	
विविध प्राप्ति रसीद		विविध प्राप्ति रसीद	
बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011		बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011	
चालान का रकम जो बैंक को दिया गया		चालान का रकम जो बैंक को दिया गया	
समाप्ति वर्ष ..... के लिए		समाप्ति वर्ष ..... के लिए	
अंचल का नाम जिससे भुगतान संबंधित है		अंचल का नाम जिससे भुगतान संबंधित है	
जिनके द्वार निविदत्त किया गया		जिनके द्वार निविदत्त किया गया	
खाता पर रकम	रकम	खाता पर रकम	रकम
स्वीकृत कर		स्वीकृत कर	
ब्याज		ब्याज	
शास्ति		शास्ति	
फीस		फीस	
अपील फीस		अपील फीस	
विविध		विविध	
कुल		कुल	
रूपये (शब्दों में)		रूपये (शब्दों में)	
हस्ताक्षर		हस्ताक्षर	
कोषागार में उपयोग के लिए		कोषागार में उपयोग के लिए	
मैनें प्राप्त किया रू० ..... (रू० .....)		मैनें प्राप्त किया रू० ..... (रू० .....)	
2. प्रविष्टि की तिथि		2. प्रविष्टि की तिथि	
चेक नम्बर		चेक नम्बर	
कोषागार लेखापाल	कोषागार पदाधिकारी	कोषागार लेखापाल	कोषागार पदाधिकारी
	अभिकर्ता / बैंक प्रबंधक		अभिकर्ता / बैंक प्रबंधक

तृतीय प्रति		चतुर्थ प्रति	
(व्यवसायी/जमाकर्ता को उनके उपयोग हेतु लौटायें)		(व्यवसायी/जमाकर्ता को समुचित वाणिज्य–कर प्राधिकारी को भेजे जाने हेतु लौटायें)	
फारम PT-X		फारम PT-X	
बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन चालान		बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन चालान	
[देखें नियम 7]		[देखें नियम 7]	
क्रमांक संख्या		क्रमांक संख्या	
कोषागार		कोषागार	
बैंक का नाम		बैंक का नाम	
ब्राँच कोड		ब्राँच कोड	
मुख्य शीर्ष		मुख्य शीर्ष	
लघु शीर्ष		लघु शीर्ष	
बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन प्राप्ति रसीद		बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन प्राप्ति रसीद	
विविध प्राप्ति रसीद		विविध प्राप्ति रसीद	
बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011		बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011	
चालान का रकम जो बैंक को दिया गया		चालान का रकम जो बैंक को दिया गया	
समाप्ति वर्ष ..... के लिए		समाप्ति वर्ष ..... के लिए	
अंचल का नाम, जिससे भुगतान संबंधित है		अंचल का नाम, जिससे भुगतान संबंधित है	
जिनके द्वारा निविदत्त किया गया		जिनके द्वारा निविदत्त किया गया	
खाता पर रकम	रकम	खाता पर रकम	रकम
स्वीकृत कर		स्वीकृत कर	
ब्याज		ब्याज	
शास्ति		शास्ति	
फीस		फीस	
अपील फीस		अपील फीस	
विविध		विविध	
कुल		कुल	
रूपये (शब्दों में)		रूपये (शब्दों में)	
हस्ताक्षर		हस्ताक्षर	
कोषागार में उपयोग के लिए		कोषागार में उपयोग के लिए	
मैनें प्राप्त किया रू० ..... (रू० .....)		मैनें प्राप्त किया रू० ..... (रू० .....)	
2. प्रविष्टि की तिथि		2. प्रविष्टि की तिथि	
चेक नम्बर		चेक नम्बर	
कोषागार लेखापाल	कोषागार पदाधिकारी	कोषागार लेखापाल	कोषागार पदाधिकारी
	अभिकर्ता/बैंक प्रबंधक		अभिकर्ता/बैंक प्रबंधक

पंचम प्रति	
(बैंक के द्वारा संबंधित अंचल को भेजा जायेगा)	
फारम PT-X	
बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन चालान	
[देखें नियम 7]	
क्रमांक संख्या	
कोषागार	
बैंक का नाम	
ब्राँच कोड	
मुख्य शीर्ष	
लघु शीर्ष	
बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 के अधीन प्राप्ति रसीद	
विविध प्राप्ति रसीद	
बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011	
चालान का रकम जो बैंक को दिया गया	
समाप्ति वर्ष ..... के लिए	
अंचल का नाम, जिससे भुगतान संबंधित है	
जिनके द्वारा निविदत्त किया गया	
खाता पर रकम	रकम
स्वीकृत कर	
ब्याज	
शास्ति	
फीस	
अपील फीस	
विविध	
कुल	
रूपये (शब्दों में)	.....
हस्ताक्षर	
कोषागार में उपयोग के लिए	
मैनें प्राप्त किया रू० ..... (रू० .....)	
2. प्रविष्टि की तिथि	
चेक नम्बर	
कोषागार लेखापाल	कोषागार पदाधिकारी
	अभिकर्ता / बैंक प्रबंधक

[सं0 सं0 बिक्री कर / अन्य कर–04 / 2011—3747(अनु0)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजित पुनहानी,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

2 सितम्बर 2011

एस0 ओ0 246, एस0 ओ0 245, दिनांक 6 सितम्बर, 2011 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[सं0 सं0 बिक्री कर / अन्य कर–04 / 2011—3747(अनु0)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजित पुनहानी,
वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 2nd September 2011

S.O. 245, dated 6th September, 2011—In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011 (Bihar Act, 10,2011) the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules.

1. Short title, extent and commencement. — (*1*) These Rules may be called the Bihar Professional Tax Rules, 2011.

(2) It shall extend to the whole state of Bihar.

(*3*) These rules will come into force at once.

2. Definitions. — (*1*) In these rules, unless anything is repugnant in the subject or context—

(a) "Act" means the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011; (Bihar Act 10, 2011)

(b) "Central Government" means a Ministry or department of the Central Government;

(c) "Circle" means a unit of Commercial Taxes administration as specified in the Government notification issued in this behalf from time to time, within the local limits of which an assessee or an employer is situated;

(d) "Circle Incharge" means the Deputy Commissioner of Commercial Taxes or the Assistant Commissioner of the Commercial Taxes or the Commercial Taxes Officer, Incharge of the Circle or the officer specially empowered by the Commissioner in this behalf;

(e) "Commissioner" means the Commissioner of Commercial Taxes appointed under Section 10 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 and includes an Additional Commissioner of Commercial Taxes appointed under Section 10 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005;

(f) "Deputy Commissioner, Commercial Taxes" means a Deputy Commissioner of Commercial Taxes appointed under section 10 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005;

(g) "Joint Commissioner, Commercial Taxes" means a Joint Commissioner of Commercial Taxes appointed under section 10 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005;

(h) "Ward" means an administrative unit as specified in the order issued by the Commissioner in this behalf from time to time within the area of a circle;

(i) "Form" means a Form prescribed under these rules;

(j) "Government Treasury" means, in relation to an assessee or an employer, the treasury or sub-treasury, as the case may be, of the district or subdivision in which such assessee or employer resides;

(k) "Section" means a section of the Act;

(l) "State Government" means the Government of Bihar;

(m) "Sub-section" means any sub-section of a section of the Act;

(n) "Tax" means the tax payable under the Act.

(2) All other words, terms or expressions not defined herein shall have the same meaning as is assigned to them in the Act.

3. Registration. — (*1*) Every employer required to be registered by section 5 shall apply, in Form PT-I, for registration under the Act to the Incharge of the Circle within whose jurisdiction the office of the employer is situated. Such application shall be submitted within seven days of the employer being required to be registered and shall be submitted at the counter of the circle or shall be filed in electronic manner on the

official Web-site of the Commercial Taxes Department and the said application shall be processed in the manner hereinafter specified:

Provided that such an application for registration by an employer who has employed persons before the coming into force of these Rules shall be made within a period of thirty days of the coming into force of these Rules.

(*2*)(a) In case where an application under Sub-rule (*1*) has been filed in electronic manner, the Incharge of the concerned Circle, after verifying that all the columns of the application have been properly filled in, shall, within fifteen days of the filing of the application, grant a Certificate of Registration in form PT-II.

(b) The certificate specified in clause (a) shall bear the registration number allotted to the employer by the authority specified in Sub-rule (*1*) and the said registration number shall be the "Tax Deduction and Collection Account Number," allotted to the employer under the Income Tax Act, 1961, prefixed by the digits "10":

Provided that in case an employer has not been allotted a Tax Deduction and Collection Account Number under the Income Tax Act, 1961, the registration number shall be the Permanent Account Number, allotted to such employer under the Income Tax Act, 1961, prefixed by the digits "10".

(c) The Certificate of Registration shall be sent to the applicant—

(i) on his e-mail account, if he has furnished such e-mail identity; or

(ii) By registered post, on the address furnished by him in his application.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule, the expression "employer" shall mean the Company, firm, society, association of persons, undivided hindu family, body corporate, Board, Authority, Undertaking or Corporation, as the case may be, which has employed persons liable to pay tax under the Act.

(*3*)(a) In case where an application under Sub-rule (*1*) has not been filed in electronic manner, such application shall be submitted at the counter of the concerned circle. The Incharge of the counter, after ascertaining that all the columns of the application have been properly filled in and signed, shall—

(i) grant the person a receipt in lieu thereof, and

(ii) enter the same in register PT-III maintained in the computer.

(b) Thereupon the Incharge of the concerned Circle shall, within fifteen days of the filing of the application, grant a Certificate of Registration in form PT-II.

(c) The certificate referred to in clause (a) shall bear the registration number allotted to the employer by the authority specified in Sub-rule (*1*) and the said registration number shall be the Tax Deduction and Collection Account Number, allotted to the employer under the Income Tax Act, 1961, prefixed by the digits "10":

Provided that in case an employer has not been allotted a Tax Deduction and Collection Account Number under the Income Tax Act, 1961, the registration number shall be the Permanent Account Number, allotted to such employer under the Income Tax Act, 1961, prefixed by the digits "10".

(d) The Certificate of Registration shall be sent to the applicant—

(i) on his e-mail account, if he has furnished such e-mail identity; or

(ii) by registered post, on the address furnished by him in his application.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule, the expression "employer" shall mean the Company, firm, society, association of persons, undivided hindu family, body corporate, Board, Authority, Undertaking or Corporation, as the case may be, which has employed persons liable to pay tax under the Act.

(*4*) In case the person responsible for paying any salary or wages to an assessee under the Act is resident outside the State of Bihar, the application under sub-rule (*1*) shall be signed by the person in charge of the management in the State of Bihar.

4. Enrolment. — (*1*) Every assessee to whom the second proviso to Section 5 and to whom sub-section (*2*) of section 6 apply, shall apply, in Form PT-IA, for enrolment under the Act to the Incharge of the Circle within whose jurisdiction the assessee resides. Such application shall be submitted within seven days of the assessee being liable to pay tax under the Act and shall be submitted at the counter of the circle or shall be filed in electronic manner on the official Web-site of the Commercial Taxes Department and the said application shall be processed in the manner hereinafter specified:

Provided that such an application for enrolment by an assessee engaged in any profession, trade, calling or employment before the coming into force of these Rules shall be made within a period of thirty days of the coming into force of these Rules.

(*2*) The Certificate of Enrolment shall be in form PT-IIA.

(*3*) The provisions of sub-rule (*2*) and (*3*) of rule 3 shall apply *mutatis mutandis* to an application for enrolment made under sub-rule (*1*).

5. Deduction of tax from salary or wages. — (*1*) Every employer shall deduct the tax payable by every employee from the salary or wages payable to such employee in respect of the month of September of every year.

(*2*) The tax deducted under sub-rule (*1*) shall be deposited by the employer referred to in sub-rule (*1*) into Government Treasury in the manner prescribed in rule 7 on or before the fifteenth day of November immediately following the month in which it has been deducted.

(*3*) Every employer referred to in sub-rule (*1*) shall furnish to the prescribed authority a statement in form PT-IV, containing details of the tax deducted by him in respect of a year, on or before the end of the month of November of every year.

(*4*)(a) Notwithstanding anything contained in sub-rule (*1*) or sub-rule (*2*) or sub-rule (*3*), in case an assessee —

(i) becomes liable to pay tax under the Act after the salary or wages for the month of September has been paid to him; or

(ii) becomes liable to pay a higher amount by way of tax after the salary or wages for the month of September has been paid to him, the employer referred to in sub-rule (*1*) shall deduct such tax, or the higher amount of tax, as the case may be, shall be deducted by the said employer from the salary or wages payable to the assessee in respect of the month of February following the said month of September.

(*5*) The amount of tax deducted under sub-rule (*4*) shall be deposited by the employer referred to in sub-rule (*1*) into Government Treasury in the manner prescribed in rule 7 on or before the fifteenth day of April following the month in which it has been deducted.

(*6*) Every employer depositing tax under sub-rule (*5*) shall furnish to the prescribed authority a statement in form PT-V, containing details of the tax deducted by him in terms of sub-rule (*4*), on or before the end of the month of May of every year.

(*7*) Every employer deducting tax under sub-rule (*1*) or sub-rule (*4*) shall issue to the employee from whose salary or wages the tax has been deducted, a certificate in form PT-VI.

(*8*) The statements referred to in sub-rule (*3*) or sub-rule (*6*) shall be filed and be disposed of in such manner as the Commissioner may, by notification, specify.

(*9*)(a) Every person to whom the provisions of the second proviso to Section 5 apply shall furnish to his employer a certificate in Form PT-VII before any salary or wages is paid to him by such employer.

(b) In the event of failure to furnish the certificate specified in clause (a), the employer shall deduct the tax payable from the salary or wages payable to the employee.

6. Returns. — (*1*) Every employer registered under the Act shall furnish to the prescribed authority an annual return in form PT-VIII containing details of the tax deducted by him in respect of the year, on or before the end of the month of November of every year.

(*2*) Every person enrolled under the Act shall furnish to the prescribed authority an annual return in form PT-IX on or before the end of the month of November of every year.

(*3*) The returns referred to in sub-rule (*1*) or sub-rule (*2*) shall be filed and be disposed of in such manner as the Commissioner may, by notification, specify.

7. Payments. — (*1*) Every person required to pay any tax or interest or penalty under the Act shall pay the amount of tax or interest or penalty into Government Treasury, or any Bank authorized by the Commissioner in this behalf, by Challan in Form PT-X.

(*2*) Notwithstanding anything contained in Sub-rule (*1*), the Commissioner may, by notification, require any person or class or description of persons to pay the amount of tax, interest or penalty in electronic manner through the official website of the Commercial Taxes Department.

8. Hearing. — (*1*) The authority referred to in rule 9 shall, in the matter of a proceeding under sub-section (*3*) of Section 7, serve or cause to be served upon the person proceeded against a notice which shall contain a gist of accusations, a date of hearing which shall in no case be less than seven days nor more than thirty days from the date of issue of notice, and the date of hearing.

(2) On the date fixed for hearing, the person proceeded against shall be allowed to rebut the accusations on him, or, to reply to the ground or grounds on which the proceeding has been initiated, as the case maybe; but shall not ordinarily be allowed an adjournment. If an adjournment becomes necessary, the authority specified in rule 9 shall record reasons therefor.

(*3*) After hearing, the authority referred to in sub-rule (*1*) shall record an order containing precisely and clearly the gist of accusations, or, the ground or grounds on which the proceeding has been initiated, as the case may be, manner in which the person proceeded against was made aware of that, the reply, if any, furnished, and the decision thereon.

(*4*) A true copy of the order passed under sub-rule (*3*) shall be made over to the person proceeded against.

9. Prescribed authority for the purposes of certain Sections of the Act.— The Circle Incharge shall be the Prescribed authority for the purposes of Section 6 and the Deputy Commissioner, the Assistant Commissioner and the Commercial Taxes Officer shall be the Prescribed authority for the purposes of Sections 7, 8, 9 and 14 of the Act.

10. Application of certain provisions of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005.— The relevant provisions of the Bihar Value Added Tax Rules, 2005 shall, *mutatis mutandis*, apply in respect of all such procedural and other matters incidental to carrying out the purposes of the Act for which no provision or insufficient provision has been made in these rules.

11. Punishment for violation of rules.— Any person who violates any provision of these rules shall be punishable with a penalty not exceeding five hundred rupees and where the violation is continuing, with a penalty not exceeding rupees ten for every day of such violation:

Provided that the prescribed authority imposing such penalty shall allow the person violating the rules, or any provision thereof, an opportunity of being heard.

FORM PT-I

Application for registration under Section 5 of the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011

(*See* Rule 3)

Office of the ..... of Commercial Taxes ..... Circle.

To,

The .....

..... Circle.

I ..... (full Name), son of ..... (full name) hereby apply for the grant of a registration certificate under Section 5 of the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011 and furnish following particular for that purpose—

(1) Full Name—

(2) Address (Give details of house number/Shop number/Locality/Post Office/Police Station/ Block/District etc.)—

(3) PAN—

(4) Telephone Number—

(5) Fax number—

(6) E-mail—

(7) Date of Tax liability—

(8) Bank details (Name of Bank, Branch Name, Account Number)—

I do hereby declare that the particular furnished in this application are correct and complete to the best of my knowledge and belief.

Place..... Signature of Applicant.....

Date ..... Designation .....

The application shall be signed by the proprietor of the business if an individual, by the karta, if an undivided Hindu family; by an authorized partner in the case of a firm; by the Managing Director, Principal Executive Officer or the authorized representative in

the case of a company or corporation, by the Principal Executive Officer-in-charge of in the case of a society, club, association, department of Government or local authority.

FORM PT- IA

Application for enrollment under second proviso to Section 5 and Section 6(*2*) of the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011

(*See* Rule 4)

Office of the ..... of Commercial Taxes ..... Circle.

To,

The .....

..... Circle.

I ..... (full Name), son of ..... (full name) hereby apply for the grant of a registration certificate under Section 5 of the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011 and furnish following particular for that purpose—

(1) Full Name—

(2) Address (Give details of house number/Shop number/Locality/Post Office/Police Station/ Block/District etc.)—

(3) PAN—

(4) Telephone Number—

(5) Fax number—

(6) E-mail—

(7) Date of Tax liability—

(8) Bank details (Name of Bank, Branch Name, Account Number)—

(9) Nature of Profession, Trade, Calling or Employment—

I do hereby declare that the particulars furnished in this application are correct and complete to the best of my knowledge and belief.

Place..... Signature of Applicant.....

Date ..... Designation .....

FORM PT- II

Certificate of registration under Section 5 of the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011

(*See* Rule 4)

Office of the ..... of Commercial Taxes ..... Circle.

Certified that Sri/Smt. ..... is registered under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011 and has been allotted Registration Number.....

2. He is liable to pay tax under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011 with effect from .....

Date.....

Place ..... Signature of the issuing authority

Designation

Seal of the office

FORM PT- IIA

Certificate of enrollment under the second proviso to Section 5 and Section 6(2) of the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011

(*See* Rule 4)

Office of the ..... of Commercial Taxes ..... Circle.

Certified that Sri/Smt. ..... is enrolled under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011 and has been allotted Enrollment Number.....

2. He is liable to pay tax under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011 with effect from .....

Date.....

Place .....

Signature of the issuing authority
Designation
Seal of the office

FORM PT-III

Professional tax register under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011

(*See* Rules 3 and 4)

Office of the ..... of Commercial Taxes ..... Circle.

To,

The .....

..... Circle.

I ..... (full Name), son of ..... (full name) hereby apply for the grant of a registration certificate under Section 5 of the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011 and furnish following particulars for that purpose—

Full Name	Address (House number/Shop number/Locality/Post Office/Police Station/ Block/District etc.)	PAN
1	2	3

Telephone Number	Fax number	E-mail	Date of liability	Bank details (Name of Bank, Branch Name, Account Number)
4	5	6	7	8

FORM PT-IV

Statement of deduction under the Bihar Professional Tax Rules, 2011

(*See* Rule 5)

(1) Government: Central/State

(2) Department/Ministry:

(3) Name of employer furnishing statement:

(4) Designation:

(5) Year:

(6) Number of persons to whom salary or wages paid during the year:

Sl. No.	Name of assessee	Designation	PAN	Income for the year	Tax payable	Tax deducted
1	2	3	4	5	6	7
Total						

I declare that the particulars furnished in this Statement are correct and complete to the best of my knowledge and belief, and that I am competent to sign and submit this statement.

Date ..... Signature .....

Place ..... Designation .....

FORM PT-V

Statement of deduction under the Bihar Professional Tax Rules, 2011

(*See* Rule 5)

(1) Government: Central/State.

(2) Department/Ministry:

(3) Name of employer furnishing statement:

(4) Designation:

(5) Year:

(6) Number of persons to whom salary or wages paid during the year:

Sl. No.	Name of assessee	Designation	PAN	Income for the year	Tax payable	Tax already deducted	Tax deducted now
1	2	3	4	5	6	7	8
Total							

I declare that the particulars furnished in this Statement are correct and complete to the best of my knowledge and belief, and that I am competent to sign and submit this statement.

Date ..... Signature .....

Place ..... Designation .....

FORM PT-VI

Certificate of tax deducted under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011

[(*See* Rule 5(7)]

It is hereby certified that I ..... (Name) Son of ..... (Name) have deducted a sum of ..... (Rs. in words) from salary/wages payable to ..... in respect of ..... (month and year).

Further certified that the total salary/wages payable to the above name employee for the year ..... is Rs.....

Further certified that the said sum deducted by way of tax has been deposited by me through Challan No. ..... dated .....

*Certified that I am registered under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011 bearing registration number .....

I declare that the particulars furnished in this certificate are correct and complete to the best of my knowledge and belief.

Date ..... Signature .....

Place .....

strike out if not applicable.

FORM PT-VII

Certificate under second proviso to Section 5 of the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011

(*See* Rule 5)

To,

The .....

..... Circle.

It is hereby certified that I ..... (Name) Son of ..... (Name) am enrolled under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011 bearing enrollment Number ..... Further I am employed with M/S ..... (Name of firm) as ..... (designation) and M/S ..... (Name of firm) as ..... (designation).

This is to further certified that I will myself pay the professional tax payable by me/have already paid the professional tax payable by me and, accordingly, professional tax need not be deducted from the salary/wages payable to me.

I declare that the particulars furnished in this certificate are correct and complete to the best of my knowledge and belief.

Date ..... Signature .....

Place ..... Enrollment Number.....

FORM PT-VIII

Return under Section 7 of the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011

(To be furnished by a person making deduction from salary/wages payable to employees)

[*See* Rule 6 (1)]

Government: Central/State.
Department/Ministry:
Name of employer furnishing statement:
Registration Number:
Designation:
Year:

(1) Total number of assesses/employees to whom salary/wages paid:

(2) Details of deduction:

Income Range	Number of assesses	Total salary/wages paid	Total tax deducted
(a) Less than Rs. 3 lacs			
(b) More than Rs. 3 lacs but less than Rs. 5 lacs			
(c) More than Rs. 5 lacs but less than Rs. 10 lacs			
(d) More than Rs. 10 lacs			
Total			

(3) Total amount paid by way of tax:

Amount (Rs.) **Challan No./Cheque/DD No. and Date**

(4) Statement in From PT-IV & PT-V, if any, enclosed.

I declare that the particulars furnished in this Return are correct and complete to the best of my knowledge and belief, and that I am competent to sign and submit this Return.

Date .....
Place .....

Signature .....
Designation .....

FORM PT-IX

Return under Section 7 of the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011

(To be furnished by a person enrolled under the Act)

[*See* Rule 6 (2)]

Name:
Enrollment Number:
Name of employer/employers, if any:
Year:
(1) Total income during the year:
(2) Tax payable:
(3) Total amount paid by way of tax:

Amount (Rs.) **Challan No./Cheque/DD No. and Date**

I declare that the particulars furnished in this Return are correct and complete to the best of my knowledge and belief.

Date ..... Signature .....

Place ..... Designation .....

ORIGINAL	**DUPLICATE**
To be sent by the Treasury to the concerned Circle	**To be retained in the concerned Treasury**
Form PT-X	**Form PT-X**
Challan under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011	Challan under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011
[See Rule 7]	[See Rule 7]
Serial Number.....	Serial Number.....
Treasury.....	Treasury.....
Name of the Bank.....	Name of the Bank.....
Branch Code.....	Branch Code.....
Major Head-	Major Head-
Minor Head-	Minor Head-
Receipts under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011	Receipts under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011
Miscellaneous Receipts under the:	Miscellaneous Receipts under the:
Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011	Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011
Challan of amount paid to the Bank	Challan of amount paid to the Bank
For the year ending	For the year ending .....
Name of the Circle to which the payment relates	Name of the Circle to which the payment relates
By whom Tendered:	By whom Tendered:

Payment on account of:	**Amount**	**Payment on account of:**	**Amount**
Admitted Tax		Admitted Tax	
Interest		Interest	
Penalty		Penalty	
Fees		Fees	
Appeal Fee		Appeal Fee	
Miscellaneous		Miscellaneous	
Total		**Total**	
Rupees (in words).....		Rupees (in words).....	
Signature of		Signature of	
For use in the Treasury		**For use in the Treasury**	
I Received payment of Rs..... (Rupees.....)		I Received payment of Rs..... (Rupees.....)	
2. Date of entry		2. Date of entry	
Cheque No.		Cheque No.	
Treasury Accountant	Treasury Officer	Treasury Accountant	Treasury Officer
	Agent/Manager of Bank		Agent/Manager of Bank

TRIPLICATE	**QUADRIPLICATE**
To be returned to the dealer/depositor for his own use	**To be returned to the dealer/depositor for being forwarded to the appropriate Commercial Taxes authority**
Form PT-X	**Form PT-X**
Challan under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011	Challan under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011
[See Rule 7]	[See Rule 7]
Serial Number.....	Serial Number.....
Treasury.....	Treasury.....
Name of the Bank.....	Name of the Bank.....
Branch Code.....	Branch Code.....
Major Head-	Major Head-
Minor Head-	Minor Head-
Receipts under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011	Receipts under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011
Miscellaneous Receipts under the:	Miscellaneous Receipts under the:

Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011		Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011	
Challan of amount paid to the Bank		Challan of amount paid to the Bank	
For the year ending		For the year ending	
Name of the Circle to which the payment relates		Name of the Circle to which the payment relates	
By whom Tendered:		By whom Tendered:	
Payment on account of:	**Amount**	**Payment on account of:**	**Amount**
Admitted Tax		Admitted Tax	
Interest		Interest	
Penalty		Penalty	
Fees		Fees	
Appeal Fee		Appeal Fee	
Miscellaneous		Miscellaneous	
Total		**Total**	
Rupees (in words).....		Rupees (in words).....	
Signature of		Signature of	
For use in the Treasury		**For use in the Treasury**	
I Received payment of Rs..... (Rupees.....)		I Received payment of Rs..... (Rupees.....)	
2. Date of entry		2. Date of entry	
Cheque No.		Cheque No.	
Treasury Accountant	Treasury Officer	Treasury Accountant	Treasury Officer
	Agent/Manager of Bank		Agent/Manager of Bank

FOR CIRCLE
To be sent by the Bank to the concerned circle
Form PT-X
Challan under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011
[See Rule 7]
Serial Number.....
Treasury.....
Name of the Bank.....
Branch Code.....

Major Head-	
Minor Head-	
Receipts under the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011	
Miscellaneous Receipts under the:	
Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011	
Challan of amount paid to the Bank	
For the year ending	
Name of the Circle to which the payment relates	
By whom Tendered:	
Payment on account of:	**Amount**
Admitted Tax	
Interest	
Penalty	
Fees	
Appeal Fee	
Miscellaneous	
Total	
Rupees (in words).....	
Signature of	
For use in the Treasury	
I Received payment of Rs.....(Rupees.....)	
2. Date of entry	
Cheque No.	
Treasury Accountant	Treasury Officer
	Agent/Manager of Bank

[(File No. Bikri-Kar/Anya Kar-04/2011—3747(Anu.)]

By order of the Governor of Bihar,
RAJIT PUNHANI,
Commissioner-cum-Secretary,
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 494-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

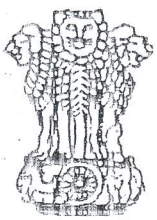

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 ज्येष्ठ 1933 (श0)

(सं0 पटना 238) पटना, शुक्रवार, 27 मई 2011

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

27 मई 2011

सं० एल0जी0-1-10/2011/लेज-110---बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 25 मई 2011 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार--राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 10, 2011]

बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011

प्रस्तावना :— पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन एवं उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक मामलों पर कर--उद्ग्रहण एवं संग्रहण हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।— (1) यह अधिनियम बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं।--(1) इस अधिनियम में जबतक कोई बात संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "कर निर्धारिती" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति अथवा नियोजक जिसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन कर संदेय है।

(ख) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है वेतन अथवा मजदूरी पर नियोजित व्यक्ति और इसमें शामिल है—

(i) केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा रेलवे निधि के राजस्व से वेतन प्राप्त करनेवाला सरकारी सेवक;

(ii) किसी निकाय, चाहे निगमित हो अथवा नहीं, जो केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा वित्त--पोषित अथवा नियंत्रित हो, जहाँ राज्य के किसी भी भाग में निकाय कार्य करता हो, यद्यपि कि इसका मुख्यालय राज्य के बाहर अवस्थित हो, की सेवा में व्यक्ति;

(iii) किसी व्यक्ति के कार्य नियोजन में कार्यरत व्यक्ति जो उपर्युक्त खण्ड (i) और (ii) से आच्छादित नहीं है;

(ग) "नियोजक" जिसके अधीन कोई व्यक्ति नियमित रूप से वेतन अथवा मजदूरी प्राप्त करता है, से अभिप्रेत है वह व्यक्ति अथवा पदाधिकारी जो ऐसे वेतन अथवा मजदूरी वितरित करने के लिए उत्तरदायी हो, और उसमें कार्यालय अथवा किसी स्थापना का प्रधान तथा प्रबंधक अथवा नियोजक का अभिकर्ता शामिल है;

(घ) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य की सरकार,

(ङ) "आय" से अभिप्रेत है आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन परिभाषित आय;

(च) "व्यक्ति" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो बिहार राज्य में किसी पेशा, व्यापार, आजीविका और कार्य नियोजन में इस प्रकार कार्यरत हो और जिसमें हिन्दू अविभाजित परिवार, फर्म, कम्पनी, निगम अथवा अन्य कॉरपोरेट निकाय, कोई सोसाईटी, क्लब अथवा संगठन शामिल हैं, परन्तु उसमें आकस्मिक आधार पर मजदूरी प्राप्त करनेवाला कोई व्यक्ति शामिल नहीं है;

स्पष्टीकरण:— इस खण्ड के प्रयोजनार्थ फर्म, कम्पनी, निगम अथवा अन्य कॉरपोरेट निकाय, कोई सोसाईटी, क्लब अथवा संगठन के किसी शाखा को व्यक्ति माना जायेगा;

(छ) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावली द्वारा विहित;

(ज) "पेशा कर" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन पेशा, व्यापार, आजीविका और कार्य नियोजन पर उद्ग्रहणीय कर;

(झ) "वेतन अथवा मजदूरी" में किसी व्यक्ति द्वारा नियमित आधार पर प्राप्त वेतन अथवा मजदूरी, महँगाई भत्ता और सभी अन्य पारिश्रमिक शामिल है, चाहे उसका भुगतान नकद अथवा वस्तु में भुगतेय हो और इसमें आय कर अधिनियम, 1961 की धारा--17 में यथापरिभाषित वेतन के बदले परिलब्धि और लाभ शामिल हैं;

(ञ) "कर" से अभिप्रेत है पेशा कर;

(ट) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष;

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, उनके अर्थ वही होंगे जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) में उनके प्रति समनुदेशित किये गये हों।

3. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 तथा उसके अधीन निर्मित नियमावली के प्रावधानों का लागू होना।—(1) इस अधिनियम और उसके अधीन निर्मित नियमावली के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) के अधीन किसी व्यापारी द्वारा भुगतेय कर के निर्धारण, पुनर्निर्धारण, संग्रहण और कर, सूद और शास्ति के भुगतान को लागू करने हेतु सशक्त प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन भुगतेय कर के निर्धारण, पुनर्निर्धारण एवं संग्रहण का कार्य करेगा और इस अधिनियम के अधीन संदेय कर, सूद और शास्ति के भुगतान को लागू करेगा और इस प्रयोजनार्थ वह कर विवरणी, कर निर्धारण, पुनर्निर्धारण, छूट गये कर निर्धारण, कर की वसूली, लेखाओं का अनुरक्षण , निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण, प्रतिनिधि की हैसियत के दायित्व, प्रतिदाय, अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन, उच्च न्यायालय में अपील, अपराधों के प्रशमन से संबंधित प्रावधानों सहित तत्समय प्रवृत्त उसको समनुदेशित उक्त अधिनियम और उसके अधीन निर्मित नियमावली के अधीन

सभी अथवा किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा तथा उक्त अधिनियम के अन्य विविध मामले और प्रावधान, यथावश्यक परिवर्तनों के साथ, तद्नुसार लागू होंगे।

(2) उप–धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, प्राधिकारियों द्वारा वैसे क्षेत्र में किया जायेगा जिसके संबंध में बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा–10 की उप–धारा (1) के अधीन उन्हें प्राधिकार प्रदत्त किया गया हो।

(3) यथा विहित बंधेजों और शर्त्तों के अध्यधीन, आयुक्त, लिखित आदेश द्वारा, बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा–10 की उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त किसी पदाधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों और कर्त्तव्यों को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

4. **कर का उद्ग्रहण और प्रभारण।**– (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, पेशा, व्यापार, आजीविका और कार्य नियोजन पर कर का उद्ग्रहण और संग्रहण किया जायेगा:

परन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर एक वर्ष में दो हजार पाँच सौ रुपये से अधिक नहीं होगा।

(2) बिहार राज्य में किसी पेशा, व्यापार, आजीविका अथवा कार्य नियोजन में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से पेशा, व्यापार, आजीविका या कार्य नियोजन पर कर भुगतान करने हेतु दायी होगा।

5. **कर्मचारी की तरफ से कर की कटौती करने एवं भुगतान करने हेतु नियोजक का दायित्व।**– वेतन अथवा मजदूरी प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन संदेय कर की उसके नियोजक द्वारा उसको भुगतान के पूर्व, उसके वेतन और मजदूरी से कटौती कर ली जायेगी और नियोजक, चाहे वह वेतन और मजदूरी का भुगतान करते समय ऐसे व्यक्तियों से कटौती करे या नहीं, ऐसे व्यक्तियों की तरफ से कर का भुगतान करने हेतु दायी होगा:

परन्तु यदि नियोजक राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार हो तो नियोजक, उक्त दायित्व का निर्वहन यथा विहित रीति से करेगा:

परन्तु और कि जहाँ वेतन अथवा मजदूरी प्राप्त करनेवाला कोई व्यक्ति एक ही साथ एक से अधिक नियोजक के यहाँ कार्यरत हो और ऐसा व्यक्ति अपने नियोजक अथवा नियोजकों को विहित प्रपत्र में यह घोषणा करते हुए प्रमाण–पत्र देता हो कि वह स्वयं कर का भुगतान करेगा, तब नियोजक ऐसे व्यक्ति को भुगतेय वेतन अथवा मजदूरी से कर की कटौती नहीं करेगा तथा यथास्थिति, ऐसा नियोजक, ऐसे व्यक्ति की तरफ से कर के भुगतान करने का दायी नहीं होगा।

6. **निबंधन और नामांकन।**– (1) प्रत्येक नियोजक को, राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के पदाधिकारी को छोड़कर, जो धारा–5 के अधीन कर–भुगतान करने का दायी हो, कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से निबंधन संख्या दी जायेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन कर–भुगतान करने का दायी प्रत्येक कर– निर्धारिती, वेतन अथवा मजदूरी प्राप्त करनेवाला व्यक्ति उस व्यक्ति, को छोड़कर जिसके लिए कर उसके नियोजक द्वारा संदेय हो, कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से नामांकन संख्या प्रदान की जायेगी।

7. **कर विवरणी और भुगतान।**– (1) इस अधिनियम के अधीन निबंधित प्रत्येक नियोजक और प्रत्येक नामांकित व्यक्ति वह विवरणी उस प्रपत्र में और उस रीति से और उस अवधि के लिए दाखिल करेगा जो विहित किये जायें।

(2) इस अधिनियम के अधीन संदेय कर, इस अधिनियम के अधीन निबंधित प्रत्येक नियोजक और प्रत्येक नामांकित व्यक्ति द्वारा उस रीति से जमा किया जायेगा जो विहित की जाय।

(3) यदि नियोजक अथवा नामांकित व्यक्ति, यथोचित कारण के बिना, ऐसी विवरणी दाखिल करने में विफल रहता है अथवा विहित समय के अंदर कर का भुगतान नहीं करता है, तो कर निर्धारण प्राधिकारी, उसे सुनवाई का यथोचित अवसर देने के बाद, उस पर प्रत्येक माह विलम्ब के लिए एक सौ रूपये से अनधिक शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

8. **कर की कटौती अथवा भुगतान करने में विफल रहने का परिणाम।**– (1) यदि निर्धारिती, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के पदाधिकारी को छोड़कर, इस अधिनियम द्वारा यथापेक्षित अथवा के अधीन कर भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे, उसके किसी अन्य परिणामों और दायित्वों पर, जिसे वह उठा सके प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे कर के भुगतान में व्यतिकमी निर्धारिती माना जायेगा।

(2) उप–धारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त धारा में निर्देशित कर निर्धारिती को, कर–भुगतान नहीं करने की अवधि के लिए प्रत्येक माह अथवा उसके भाग के बकाये राशि पर दो प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से भुगतान करने का दायी माना जायेगा।

(3) यदि नामांकित व्यक्ति, इस अधिनियम द्वारा अथवा के अधीन यथापेक्षित कर भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह उप–धारा (2) में निर्धारित दर एवं रीति से साधारण ब्याज भुगतान करने का दायी होगा।

9. **कर आदि की वसूली।**– इस अधिनियम के अधीन कर, शास्ति, सूद अथवा कोई अन्य बकाया भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूलनीय होगा।

10. **अपील।**– (1) कोई कर निर्धारिती, केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के पदाधिकारी को छोड़कर, यदि इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित हो तो वह आदेश पारित होने के पैंतालिस दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा:

परन्तु अपीलीय प्राधिकारी लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से उपर्युक्त पैंतालिस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद किये गये अपील को मंजूर कर सकेगा;

(2) ऐसे किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा जबतक कि कर की राशि का जिसके संबंध में अपील किया गया हो, पूर्ण भुगतान नहीं कर दिया गया हो।

11. **अपराध और शास्तियाँ।**– कोई व्यक्ति अथवा नियोजक जो युक्तियुक्त कारण के बिना, इस अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमावली के प्रावधानों में से किसी का अनुपालन नहीं करता है तो दोषसिद्धि पर तीन माह के साधारण कारावास अथवा पाँच हजार रुपये तक के जुर्माना और जहाँ अपराध स्थायी प्रकृति का हो वहाँ जारी अपराध के दौरान प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।

12. **कम्पनी द्वारा अपराध।**– जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया हो वहाँ ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के दायी होंगे:

परंतु इस उप–धारा में अंतर्विष्ट किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दंड का दायी नहीं होगा यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध कारित होने के निवारण हेतु सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप–धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहाँ वह निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का दायी होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) "कंपनी" से अभिप्रेत है कोई निगमित निकाय और इसमें कोई फर्म अथवा व्यष्टियों के अन्य संगम भी शामिल है तथा

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से अभिप्रेत है, उस फर्म का साझीदार।

13. **कार्यवाहियों को स्थानांतरित करने की शक्ति।**– आयुक्त अथवा अपर आयुक्त, मामले में पक्षकारों को सुनवाई को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् जब भी ऐसा करना संभव हो, ऐसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन किसी कार्यवाही अथवा कार्यवाहियों को अपने पास से किसी अन्य पदाधिकारी के पास एवं, इसी प्रकार, किसी कार्यवाही, को (किसी पदाधिकारी के समक्ष लंबित या इस धारा के अधीन अंतरित कार्यवाही सहित) किसी पदाधिकारी से लेकर किसी अन्य पदाधिकारी को अंतरित कर सकेगा:

परंतु जहाँ स्थानांतरण एक ही शहर, इलाका अथवा स्थान के किसी एक पदाधिकारी और कार्यालय से संबंधित हो, वहाँ इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण– इस धारा में किसी कर निर्धारिती के संदर्भ में "कार्यवाही" शब्द से इस अधिनियम के अधीन, किसी वर्ष से संबंधित ऐसी सभी कार्यवाहियाँ अभिप्रेत हैं जो ऐसे आदेश की तारीख को लंबित हों या जो ऐसी तारीख को या उससे पूर्व, पूर्ण कर ली गई हो तथा इसमें इस अधिनियम के अधीन ऐसी सभी कार्यवाहियां भी सम्मिलित हैं जो किसी वर्ष के संबंध में, ऐसे आदेश की तारीख के पश्चात् ऐसे कर निर्धारिती के संबंध में प्रारंभ की जाय।

14. **अपराधों का प्रशमन।**– (1) कर निर्धारण प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए कार्यवाही संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात्, किसी ऐसे कर निर्धारिती से, जिसे किसी अपराध के लिए आरोपित किया गया हो, अपराध प्रशमन के रूप में पाँच हजार रुपये से अनधिक अथवा वसूलनीय राशि की दोगुणी राशि, इनमें से जो भी ज्यादा हो, स्वीकार करने की अनुमति कर निर्धारिती को दे सकेगा।

(2) कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा, उप–धारा (1) के अधीन यथा अवधारित ऐसी राशि का संदाय करने पर, अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध उसी अपराध के संबंध में और आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(3) उप–धारा (1) के अधीन कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश अथवा अभिलिखित कार्यवाही अंतिम होगी और इसके विरुद्ध कोई अपील अथवा आवेदन दाखिल नहीं किया जायेगा।

15. **विमुक्तियाँ।**– (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात संघ के शस्त्र बलों के बिहार के किसी भाग में सेवारत सदस्यों पर लागू नहीं होगी।

(2) राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट शर्त्तों एवं बंधेजों के अध्यधीन व्यक्तियों के किसी वर्ग को कर के अधिरोपण से विमुक्ति प्रदान कर सकेगी।

(3) उप–धारा (2) के अधीन निर्गत प्रत्येक अधिसूचना, प्रकाशन के बाद यथाशीघ्र, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिए जो एक अथवा एक से अधिक सत्रों को मिलाकर हो सकेगी, विधान–सभा के समक्ष रखी जायेगी।

16. **स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा पेशा कर का उद्ग्रहण न किया जाना।**–स्थानीय प्राधिकार के गठन अथवा स्थापना को नियंत्रित करने वाली किसी अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी कोई स्थानीय प्राधिकारी, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि को अथवा उसके बाद, पेशा, व्यापार, आजीविका अथवा कार्य नियोजन पर कोई कर अधिरोपित नहीं करेगा।

17. **अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति।**– (1) सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची में किसी मद अथवा प्रविष्टि को परिवर्तित, जोड़ अथवा रद्द कर सकेगी।

(2) उप–धारा (1) के अधीन निर्गत प्रत्येक अधिसूचना, प्रकाशन के बाद यथाशीघ्र चौदह दिनों की कुल अवधि के लिए जो एक अथवा एक से अधिक सत्रों को मिला कर हो सकेगी, विधान सभा के समक्ष रखी जायेगी।

(3) इस अधिनियम में अनुसूची अथवा उसकी कोई प्रविष्टि अथवा मद के बारे में इंगित प्रसंगों का आशय अनुसूची के प्रसंग से होगा अथवा, यथास्थिति इसका आशय तात्कालिक रूप से, इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के अधीन संशोधित उसकी प्रविष्टि अथवा मद से होगा।

18. **नियमावली बनाने की शक्ति।**– (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी अथवा किसी प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए नियमावली बना सकेगी।

(2) इसके बनने के बाद इस अधिनियम के अधीन निर्मित प्रत्येक नियम यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष सत्रावधि जो मिलाकर एक अथवा अधिक सत्रों के लिए होगी, में कुल चौदह दिनों की अवधि के लिए रखा जायेगा।

19. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।– इस अधिनियम के प्रयोजनों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर, कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसे प्रावधान कर सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं हो और जो आवश्यक प्रतीत हो।

अनुसूची
(देखें धारा 4)

पेशा, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर की दरों की अनुसूची।

क्रमांक	कर निर्धारिती का वर्ग	संदेय कर की राशि
1	व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक हो, परन्तु प्रति वर्ष पाँच लाख रुपये से अधिक नहीं हो।	रुपये एक हजार प्रति वर्ष।
2	व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय पाँच लाख रुपये से अधिक हो, परन्तु प्रति वर्ष दस लाख रुपये से अधिक नहीं हो।	रुपये दो हजार प्रति वर्ष।
3	व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय दस लाख रुपये से अधिक हो।	रुपये दो हजार पाँच सौ प्रति वर्ष

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

---

27 मई 2011

सं० एल०जी०–1–10/2011/लेज–111– बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 25 मई 2011 को अनुमत बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 का का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 10, 2011]

THE BIHAR TAX ON PROFESSIONS, TRADES, CALLINGS AND EMPLOYMENTS ACT, 2011

AN

ACT

Preamble:—TO PROVIDE FOR THE LEVY AND COLLECTION OF TAX ON PROFESSIONS, TRADES, CALLINGS AND EMPLOYMENTS AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty-Second Year of the Republic of India as follows:-

1. *Short title, extent and commencement.*—(1) This Act may be called the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

2. *Definitions.*—(1) In this Act, unless the context otherwise requires, -

(*a*) "assessee" means a person or employer by whom tax is payable under this Act;

(*b*) "employee" means a person employed on salary or wages, and includes –

(*i*) a Government servant receiving pay from the revenues of the Central Government or any State Government or the Railway Fund;

(*ii*) a person in service of a body, whether incorporated or not, which is owned or controlled by the Central Government or any State Government where the body operates in any part of the State, even though its headquarters may be situated outside the State;

(*iii*) a person engaged in any employment of an employer not covered by clauses (i) and (ii) above;

(*c*) "employer" in relation to an employee earning any salary or wages on regular basis under him, means the person or the officer who is responsible for disbursement of such salary or wages, and includes the head of the office or any establishment as well as the manager or agent of the employer;

(*d*) "Government" means the State Government of Bihar;

(*e*) "Income" means Income as defined under the Income Tax Act, 1961;

(*f*) "person" means any person who is engaged in any profession, trade, calling or employment in the State of Bihar and includes a Hindu undivided family, firm, company, corporation or other corporate body, any society, club, or association so engaged, but does not include any person who earns wages on casual basis;

EXPLANATION— For the purposes of this clause, every branch of a firm, company, corporation or other corporate body, any society, club or association shall be deemed to be a person;

(*g*) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(*h*) "profession tax" means the tax on profession, trade, calling and employment leviable under this Act;

(*i*) "salary or wages" includes pay or wages, dearness allowance and all other remunerations received by any person on regular basis, whether payable in cash or in kind, and also includes perquisites and profits in lieu of salary as defined in section 17 of the Income Tax Act, 1961;

(j) "tax" means the profession tax;

(*k*) "year" means a financial year.

(2) Words and expressions used in this Act but not defined herein shall have the meaning assigned to them under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).

3. *Application of the provisions of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 and Rules made thereunder.*— Subject to other provisions of this Act and the Rules framed thereunder the

authority empowered for assessment , reassessment ,collection of tax and enforce payment of tax, interest and penalty payable by a dealer under the Bihar Value Added Tax Act 2005 (Act 27 of 2005) shall do the work of assessment, reassessment , collection of tax and enforce payment of tax, interest and penalty payable under this Act and for this purpose he may exercise all or any of the powers assigned to them under the said Act and Rules made thereunder for the time being in force including the provisions relating to Tax returns, Tax assessment, Tax reassessment, escaped Tax assessment, recovery of tax, maintenance of accounts, inspection, search and seizure liability in representative character, refund, appeal, revision and reviews, appeal to the High court, compounding of offences and other miscellaneous matter and the provisions of the said Act shall, *mutatis mutandis* apply accordingly.

(2) The powers conferred under sub-Section (1) shall be exercised by the authorities within such areas in respect of which authority has been conferred on them under sub-section (1) of Section 10 of the Bihar Value Added Tax Act 2005 (Act 27 of 2005).

(3) Subject to such restrictions and conditions as may be prescribed, the Commissioner may, by order in writing, delegate any of his powers and duties under this Act to any of the officers appointed under sub-section (1) of Section 10 of the Bihar Value Added Tax Act 2005 (Act 27 of 2005).

4. *Levy and charge of tax* .—(1) There shall be levied and collected a tax on professions, trades, callings and employments in accordance with the provisions of this Act:

Provided that the tax payable by a person under this Act in respect of a year shall not exceed two thousand five hundred rupees.

(2) Every person engaged in any profession, trade, calling or employment in the State of Bihar shall be liable to pay the tax in respect of his Profession , Trade , Calling or employment at the rate specified in the Schedule appended to this Act.

5. *Employer's liability to deduct and pay tax on behalf of the employee.*—The tax payable under this Act by any person earning salary or wages shall be deducted by his employer from the salary or wages payable to such person before such salary or wages is paid to him, and such employer shall, irrespective of whether such deduction has been made or not, when the salary or wages is paid to such persons, be liable to pay tax on behalf of all such persons :

Provided that if the employer is an officer of the State Government or the Central Government, the manner in which the employer shall discharge the said liability shall be such as may be prescribed :

Provided further that where any person earning a salary or wages is simultaneously engaged in employment of more than one employer, and such person furnishes to his employer or employers a certificate in the prescribed form declaring, that he shall pay the tax himself, then the employer or employers of such person shall not deduct the tax from the salary or wages payable to such person and such employer or employers, as the case may be, shall not be liable to pay tax on behalf of such person.

6. *Registration and enrolment.*—(1) Every employer, not being an officer of the State Government or the Central Government, liable to deduct tax under section 5 shall be granted a registration number by the Tax assessing authority in the prescribed manner.

(2) Every Tax assessee liable to pay tax under this Act, other than a person earning salary or wages in respect of whom the tax is payable by his employer, shall be granted an enrolment number by the Tax assessing authority in the prescribed manner.

7. *Tax Returns and payments.*—(1) Every employer registered under this Act and every enrolled person shall furnish such returns in such form and manner and for such period as may be prescribed.

(2) The tax due under this Act shall be deposited by every employer registered under this Act and every enrolled person in such manner as may be prescribed

(3) Where an employer or enrolled person, without reasonable cause, fails to file such return or defaults in paying the tax within the prescribed time, the Tax assessing authority may, after giving him a reasonable opportunity of being heard, impose upon him a penalty not exceeding rupees one hundred for each month of delay.

8. *Consequences of failure to duduct or to pay tax* .— (1) If Tax assessee , not being an officer of the State Government or the Central Government, fails to pay the tax as required by or under this Act, he shall, without prejudice to any other consequences and liabilities which he may incur,, be deemed to be an assessee in default in respect of such tax payment.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), a Tax assessee referred to in that sub-section shall be liable to pay simple interest at the rate of two per centum of the amount of tax due for each month or part thereof for the period for which the tax remains unpaid.

(3) If an enrolled person fails to pay the tax as required by or under this Act, he shall be liable to pay simple interest at the rate and in the manner laid down in sub-section (2).

9. *Recovery of taxes, etc.* .--The arrears of tax, penalty, interest or any other amount due under this Act, shall be recoverable as an arrear of land revenue.

10. *APPEALS* .—(1) Any Tax assessee, not being an officer of the State Government or the Central Government, aggrieved by any order passed by any authority under the provisions of this Act may, within forty-five days from the date on which the order was served on him, appeal to the appellate authority :

Provided that the appellate authority may, for sufficient reasons to be recorded in writing, admit an appeal preferred after the expiry of the period of forty-five days aforesaid.

(2) No appeal shall be entertained, unless the amount of tax in respect of which the appeal has been preferred has been paid in full.

11. *Offences and penalties* .—Any person or employer who, without reasonable cause, fails to comply with any of the provisions of this Act or the rules made there under shall, on conviction, be punishable with simple imprisionment for tree months or fine which may extend to five thousand rupees or both, and where the offence is a continuing one, with a further fine which may extend to fifty rupees for every day during which the offence continues.

12. *Offences by companies.*—(1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who at the time the offence was committed was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

EXPLANATION. — For the purposes of this section, -

(*a*) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals ; and

(*b*) "director" in relation to a firm, means a partner in the firm.

13. *Power to transfer proceedings.*—The Commissioner or the Additional Commissioner may, after giving the parties a reasonable opportunity of being heard, wherever it is possible so to do, and after recording his reason for doing so, by order in writing, transfer any proceedings or class of proceedings under any provision of this Act, from himself to any other officer, and he may likewise transfer any such proceedings (including a proceeding pending with any officer or already transferred under this section) from any officer to any other officer or to himself :

Provided that nothing in this section shall be deemed to require any such opportunity to be given where the transfer is from any officer and the offices of both are situated in the same city, locality or place.

Explanation.- In this section, the word "proceedings" in relation to any Tax assessee whose name is specified in any order issued thereunder means all proceedings under this Act, in respect of any year which may be pending on the date of such order or which may have been completed on or before such date, and includes also all proceedings under this Act, which may be commenced after the date of such order in respect of any year in relation to such Tax assessee.

14. *Compounding of offences* .—(1) The Tax assessing authority may, either before or after the institution of proceedings for an offence under this Act, permit any Tax asessee, charged with the offence, to compound the offence on payment of such sum, not exceeding five thousand rupees or double the amount of tax recoverable, whichever is greater.

(2) On payment of such sum as may be determined by the assessing authority under sub-section (1), no further proceedings shall be taken against the person in respect of the same offence.

(3) Any order passed or proceeding recorded by the Tax assessing authority under sub-section (1), shall be final and no appeal or application for revision shall lie therefrom.

15. *Exemptions* .—(1) Nothing contained in this Act shall apply to the members of the armed forces of the Union serving in any part of Bihar.

(2) The State Government may, by a notification published in the Official Gazette and subject to such conditions and restrictions as may be specified in the notification, exempt from levy of tax any class or group of persons.

(3) Every notification issued under sub-section (2) shall, as soon as it is published, be laid before the Legislative Assembly for a total period of fourteen days which may be comprised in one or more sessions.

16. *Local authorities not to levy profession tax* .—Notwithstanding anything in any enactment governing the constitution or establishment of a local authority, no local authority shall, on or after the commencement of this Act, levy any tax on professions, trades, callings or employments.

17. *Power to amend Schedule* .—(1) The Government may, by notification, alter, add to or cancel any item or entry in the Schedule.

(2) Every notification issued under sub-section(1) shall, as soon as it is published, be laid before the State Legislature for a total period of fourteen days which may be comprised in one or more sessions.

(3) References made in this Act to the Schedule, or any Entry or item thereof, shall be construed as references to the Schedule or, as the case may be, the Entry or item thereof as for the time being amended in exercise of the powers conferred by this section.

18. *Power to make rules.*—(1) The Government may, by notification, make rules to carry out all or any of the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall be laid as soon as may be after it is made before the State Legislature while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one or more sessions.

19. *Power to remove difficulties* .—If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, and may appear to be necessary for removing the difficulty.

SCHEDULE

(*See* Section 4)

Schedule of rates of tax on professions, trades, callings and employments

Sl.No.	Class of Tax Assessee	Amount of Tax Payable
1	Persons whose income exceeds three lac rupees per annum but does not exceed five lac rupees per annum.	One thousand rupees per annum.
2	Persons whose income exceeds five lac rupees per annum but does not exceed ten lac rupees per annum.	Two thousand rupees per annum.
3	Persons whose income exceeds ten lac rupees per annum.	Two thousand and five hundred rupees per annum.

By order o f the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 238-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in